न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/98/2021	2021/316	08-10-2021	15-06-2022

01- मामला पुत्र रामकरण जाति गुर्जर.
02- रोशन पुत्र माला जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम दुहार माला तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज0)

-अपीलांट्स

बनाम

01- तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर। (राजस्थान)

-रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार थानागाजी दिनांक 30.08.2019 प्रकरण संख्या 74/2019 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विवादित आराजी किस्म बजड की भूमि से पेनल्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने जाने बाबत।

उपस्थितः-
01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

-वकील अपीलान्ट्स

-:निर्णयः-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 30.08.2019 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 74/2019 उनवान सरकार बनाम मामला वगै0 में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम काला खोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिक्रमण के विरुद्व पैलन्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.02 है0 किस्म बजड पर अतिक्रमी मामला पुत्र रामकरण/ रोशन पुत्र माला जातियान गूर्जर निवासी दुहारमाला तहसील थानागाजी द्वारा सम्वत 2076 में नाजायज कब्जा कर कच्चे छप्पर बनाकर एवं कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आलोच्य निर्णय दिनाक 30.08.2019 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर गैरसायल अपीलान्टान को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व आर्थिक दण्ड वसूल करने के आदेश दिये गये है। पारित निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की है। तहत अदालत द्वारा निर्णय करने से पूर्व विधिक प्रकिया का कतई पालन नही किया है, और न ही अपीलान्टान को पूर्ण रूप से साक्ष्य पेश करने का एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है, जो न्यायहित में आवश्यक था, ऐसी अवस्था में आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ होने के कारण तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट का विवादित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/98/2021	2021/316	08-10-2021	15-06-2022

01– मामला पुत्र रामकरण जाति गुर्जर,
02– रोशन पुत्र माला जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम दुहार माला तहसील थानागाजी जिला अलवर (राज0)

–अपीलांट्स

बनाम

01– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर। (राजस्थान)

–रेस्पोडेण्ट

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार थानागाजी दिनांक 30.08.2019 प्रकरण संख्या 74/2019 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विवादित आराजी किस्म बजड की भूमि से पेनल्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने जाने बाबत।

उपस्थितः–
01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

–वकील अपीलान्ट्स

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 30.08.2019 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 74/2019 उनवान सरकार बनाम मामला वगै0 में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम काला खोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिकमण के विरूद्व पैलन्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.02 है0 किस्म बजड पर अतिकमी मामला पुत्र रामकरण/ रोशन पुत्र माला जातियान गूर्जर निवासी दुहारमाला तहसील थानागाजी द्वारा सम्वत 2076 में नाजायज कब्जा कर कच्चे छप्पर बनाकर एवं कब्जा कर अतिकमण किये जाने पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आलोच्य निर्णय दिनाक 30.08.2019 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर गैरसायल अपीलान्टान को अतिकमी धोषित कर बेदखल करने व आर्थिक दण्ड वसूल करने के आदेश दिये गये है। पारित निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की है। तहत अदालत द्वारा निर्णय करने से पूर्व विधिक प्रकिया का कतई पालन नही किया है, और न ही अपीलान्टान को पूर्ण रूप से साक्ष्य पेश करने का एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है, जो न्यायहित में आवश्यक था, ऐसी अवस्था में आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ होने के कारण तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट का विवादित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.02 है0 पर कोई नया अतिकमण नही किया गया है, उक्त भूमि वंजड सिवायचक आराजी है। अपीलान्टान गरीब पशुपालक व भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर आदि नही है। गत 8–10 सालो से कच्चे घर छप्पर बनाकर परिवार सहित रहते है। तथा अपने पशु भेस बकरी आदि बाधते है। उक्त आराजी पर पुराना कब्जा होने के कारण तथा भूमिहीन/गरीब पशुपालक होने के कारण राज्य सरकार के सरकूलर के अनुसार अपीलान्टान उक्त आराजी को अपने नाम विनियमन/आंवटन कराने के अधिकारी है। लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्टान को उक्त आराजी का अतिकमी मानकर बेदखल करने व पैलन्टी आरोपित कायम करने का आदेश दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नही किया न ही पटवारी हल्का से उक्त आराजी की पैमाईश ही करायी और न ही पटवारी हल्का के बयान कराये चुकि विवादित आराजी खसरा न0 720 का कुल रकबा साढे चार बीघा है, जिसमें से 0.02 रकबे पर पटवारी हल्का द्वारा अतिकमण करना बताया है वह बिना पैमाईश के साबित नही हो सकता है कि किस तरफ कितने रकबे पर अपीलान्ट का कब्जा है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर की अनेको नजीरो में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है, कि जहां पटवारी हल्का ने बडे रकबे में से अपीलान्ट अतिकमी द्वारा कोई छोटा रकबा में अतिकमण किया हुआ बताया है, उसकी पैमाईश करके पहचान नही करवाई गई है, और ऐसा निर्णय निरस्त फरमाया है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया है, जिस कारण से अपीलान्ट तहत अदालत में उपस्थित नही हो सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की गैरमोजुदगी व गैरहाजरी में पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी। इस कारण समयावधि में अपीलाण्टान अपील पेश नही कर सके। जिसमें अपीलाण्टान की कोई लापरवाही नही रही है। दिनाक 27.01.2020 को पटवारी हल्का मौके पर आये तथा उनके द्वारा बताया कि तुम्हारे खिलाफ बेंदखली के आदेश पारित किये गये है। जिस पर दिनाक 28.01.2020 को नकल हेतु आवेदन किया गया और नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह ली जाकर अपील बिना देरी किये अपील अंदर अवधि पेश की जाकर अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उक्त कारण से हुयी है, जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काबिल माफि तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावे तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.08.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि वर्णित आराजी की किस्म बंजड है जिस पर अतिक्रमी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा विधिवत निर्णय दिनांक 30.08.2019 को पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 के विरूद्ध दिनांक 03.02.2020 को न्यायालय को पेश की है, जो करीब 5 माह पश्चात पेश की है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–05 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील अपीलाण्ट ने अपील में मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.02 है0 ग्राम काला खोरा तहसील थानागाजी पर कोई नया अतिकमण नही किया गया है, उक्त भूमि वंजड सिवायचक आराजी है। अपीलान्टान गरीब पशुपालक व भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर आदि नही है। गत 8–10 सालो से कच्चे घर छप्पर बनाकर परिवार सहित रहते है। तथा अपने पशु भेस बकरी आदि बाधते है। उक्त आराजी पर पुराना कब्जा होने के कारण तथा भूमिहीन/गरीब पशुपालक होने के कारण राज्य सरकार के सरकूलर के अनुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्टान उक्त आराजी को अपने नाम विनियमन/आंवटन कराने के अधिकारी है। तहत अदालत ने सम्वत 2076 में ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बंजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिकमण के विरूद्व नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अतिकमी को जरिर्ये नोटिस तलब किया गया किन्तु अतिकमी बावजुद नोटिस तामील के उपस्थित नही हुऐ। जिस पर तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बंजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिकमण को ध्वस्त किये जाने व बेदखली/पैलन्टी कायम किये जाने का विधिवत निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म बजड राजकीय भूमि है। जिस पर अतिक्रमी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अत अपील अपीलान्टान खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.08.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जमा रिकार्ड हो।

आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0जिला कलक्टर प्रथम
अलवर(राजस्थान)